राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी-3/1 अम्बेडकर भवन, राजमहल पैलेस के पीछे

क्रमांकः-एफ 7(2)( )रा.छा./सान्याअवि/14/ 50279 जयपुर दिनांक 12-9-2014

आदेश

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2014-15 की घोषणा संख्या 172 के अन्तर्गत विभाग द्वारा संचालित विद्यालय स्तरीय एवं महाविद्यालय स्तरीय राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासो मे रहने वाले अनुसूचित जाति, स्वच्छकार, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग एवं विशेष पिछडा वर्ग के छात्र-छात्राओ हेतु छात्रावास की मैस भत्ते की राशि 1750/- प्रति छात्र-छात्रा प्रति माह को बढाकर 1900/- प्रति छात्र-छात्रा प्रति माह करने की राज्य सरकार की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

बढी हुई दरे दिनांक 01.09.2014 से लागू होगी तथा प्रति शैक्षणिक सत्र के लिए मैस भत्ते की राशि अधिकतम 9½ माह हेतु देय होगी। बढी हुई दरो का मदवार विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.स.	नाम मद	संशोधित राशि (प्रतिमाह)	प्रति सत्र 9½ माह हेतु नियत राशि
1	भोजन,नाश्ता, विशेष भोजन, ईंधन	1350	12825
2	स्कूल यूनिफार्म मय सिलाई, (दो ड्रेसेज) जूते-मोजे, तौलिये एवं गर्म जर्सी	200	1900
3	सिर पर लगाने का तैल, नहाने एवं कपडे धोने का साबुन, बाल कटाई आदि	80	760
4	चद्दर, तकिया, खोली एवं खेस आदि की धुलाई	40	380
5	बिजली-पानी	170	1615
6	समाचार-पत्र, पत्रिकाये आदि	20	190
7	छात्रावास की साफ सफाई	40	380
	योग	1900	18050

स्कूल यूनिफार्म, गर्म जर्सी, जूते-मोजे, तौलिये हेतु दी जाने वाली राशि 1900/- प्रति विद्यार्थी प्रति सत्र एक मुश्त छात्रावास की प्रथम किश्त के साथ ही उपलब्ध कराई जावेगी। ताकि विद्यार्थियो को सत्र के आरम्भ मे ही युनिफार्म आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। बढी हुई राशि का उपयोग मदवार किया जावेगा। मद विशेष मे बचत रहने पर उस मद राशि का उपयोग अन्य मदो मे मेस समिति की बैठक मे निर्णय लेकर किया जा सकेगा। परन्तु किसी भी स्थिति मे कुल व्यय राशि प्रति विद्यार्थी प्रति माह 1900/- एवं प्रति सत्र 18050/- से अधिक नही होगी।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-2) विभाग की अन्तर्विभागीय टीप संख्या 161400941 दिनांक 20.08.2014 द्वारा दी गई सहमति के अनुसरण मे जारी की जाती है।

(सुवालाल)
निदेशक

क्रमांकः-एफ 7(2)( )रा.छा./सान्याअवि/14/ 50280-430 जयपुर दिनांक 12-9-2014

प्रतिलिपी निम्नाकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव वित्त विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयुपर।
5. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयुपर।
7. संयुक्त सचिव वित्त (व्यय-2) विभाग शासन सचिवालय, राजस्थान जयुपर।
8. संयुक्त सचिव (आयोजना) वित्त विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयुपर।
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद .... ।
10. वित्तीय सलाहकार मुख्यावास।
11. अतिरिक्त निदेशक, (सामाजिक सुरक्षा) मुख्यावास।
12. अतिरिक्त निदेशक (अनु.जाति एवं जनजाति कल्याण) मुख्यावास।
13. उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग .... को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि बढ़ी हुई दरो के अनुसार आवासीय विद्यालयो को गुणात्मक सुविधाओ की प्रदायगी करावे।
14. लेखाकार (बजट) आडिट, मुख्यावास।
15. गार्ड फाईल

12/09/2014

(डां. एच.एस.मीणा)
अतिरिक्त निदेशक
(अनु.जाति/जनजाति कल्याण)